रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2035] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/भाद्र 8, 1932

No. 2035] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/BHADRA 8, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010

का.आ. 2395(अ).—यतः, मै. जेनपैक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य के गाँव जमडोली, तहसील जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने तहसील जयपुर, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 7 जनवरी, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में,—

(i) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा खसरा नम्बर 165 मीन एवं 448 मीन, गाँव जमडोली, तहसील जयपुर, राजस्थान में 10.1175 हेक्टेयर, क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है ।

(ii) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति भी गठित करती है, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	—अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिति जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	—सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला सीमा-शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला आयकर आयुक्त अथवा उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	—सदस्य, पदेन
7. राजस्थान सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन

8. मै. जेनपैक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (जयपुर) प्राइवेट लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रिती

(iii) केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/पत्तन माना जाएगा ।

[फा. सं. एफ. 2/299/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2010

S.O. 2395(E).—Whereas M/s. Genpact Infrastructure (Jaipur) Private Limited, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology/ information technology enabled services sector at Village Jamdoli, Tehsil- Jaipur in the State of Rajasthan;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for information technology/information technology enabled services sector at Jaipur, Rajasthan 7th January, 2008;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, sub-section (1) of Section 13, sub-section (2) of Section 53 and sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006:

(i) the Central Government hereby notifies the area of 10.1175 hectares comprising at Khasra number 165 min and 448 min, Village Jamdoli, Tehsil-Jaipur, in the State of Rajasthan, as a Special Economic Zone.

(ii) the Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson, ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio
3. Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nommee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Rajasthan —Member, ex-officio
8. Representative of M/s. Genpact Infrastructure (Jaipur) Private Limited (Developer) —Special Invitee

(iii) the Central Government hereby also appoints the day of 2010 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot/ Port under Section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. F. 2/299/2006 -SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.